संलग्न-22

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम
मथुरा क्षेत्र - रिटेल

BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD.
A Govt. of India Enterprise
Mathura Territory - Retail

**शीर्षक:** -जनपद मथुरा में मथुरा - वृन्दावन मार्ग (MDR-123) कि .मि. 5 (चैनेज -4.246) ग्राम अहिल्यागंज बांगर के प्लाट संख्या 183/ 100/ 5 पर (बी. पी. सी. एल.) न्यू रिटेल आउट-लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.040988 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु

**प्रपोजलसंख्या :-** FP/UP/OTHERS/35033/2018

**दिनांक :-** 31/07/2018

## मानक शर्ते

(वन अनुभाग -3 उ. प्र. शासन की पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जाएगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।

3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांरित नहीं करेगा।

4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि मांगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त है अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5- हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाएंगे और किए जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को कराना होगा।

6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित जिलाधिकारी की देख रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में नए पुराने आदि की देखभाल करेगा।

7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया गया। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना संभव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की पूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।

सुधिन्द कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

दिनेश चतुर्वेदी
प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
साइट-बी, पोस्ट ऑफिस- रिफाइनरी, मथुरा-281 005



Scanned by CamScanner

**शीर्षक:** -जनपद मथुरा में मथुरा - वृन्दावन मार्ग (MDR-123) कि .मि. 5 (चैनेज -4.246) ग्राम अहिल्यागंज बांगर के प्लाट संख्या 183/ 100/ 5 पर (बी. पी. सी. एल.) न्यू रिटेल आउट-लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.040988 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु

**प्रपोजलसंख्या :-** FP/UP/OTHERS/35033/2018

**दिनांक :-** 31/07/2018

9- सिचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन कि नर्सरियों पौधों के एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी

10- वन विभाग द्वारा हस्तान्तरिक भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार के लिए का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए गए विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

11- सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तय होते समय स्थानीय स्टार पर वन विभाग का परामर्श उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियंता , लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र ए पौड़ी को सम्भोधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का मामूली फेरबदल पक्का करना होगा , बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12- वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा जो विभाग को मान्य होगा।

13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ.प्र . वन विभाग अथवा अन्य कोई उपर्युक्त प्रकिर्या जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवशयक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।

14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों को प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दो पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग

अरविन्द कुमार
क्षेत्रीय निदेशक
... मथुरा
10/12/18



प्रादेशिक ... (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम ... लिमिटेड
... साइट-बी, पोस्ट ऑफिस- मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-281 005

Scanned by CamScanner

**शीर्षक: -**जनपद मथुरा में मथुरा - वृन्दावन मार्ग (MDR-123) कि .मि. 5 (चैनेज -4.246) ग्राम अहिल्यागंज बांगर के प्लाट संख्या 183/ 100/ 5 पर (बी. पी. सी. एल.) न्यू रिटेल आउट-लेट रिटेल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.040988 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग के आवेदन हेतु

**प्रपोजलसंख्या :-** FP/UP/OTHERS/35033/2018

**दिनांक :-** 31/07/2018

द्वारा नियन्त्रित किए जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। किसी प्रकरण बीज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।

15- वनभूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा या खम्भों को ऊँचा करके उसे सुनिश्चित किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षक करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक अनुमोदन आवश्यक है।

16- यदि नहर आदि निर्माण में भू—रक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों की पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।

17- उपलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा पर वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगीं।

18- वनविभाग का वास्तविक हस्तानान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मैं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मथुरा को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्ते मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

दिनांक :- 02/08/2018

प्रस्तावको की ओर से

प्रादेशिक प्रबंधक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट – डी–1, रोड नं 26, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट–बी,
साइट–बी, पोस्ट ऑफिस– मथुरा रिफाइनरी, मथुरा–281 005

अरविन्द कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा
10/7/2018



Scanned by CamScanner